


16.09.2022:- पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही
आये। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की
जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़